

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क 409 / 15

संस्थित दिनांक- 03.12.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. भामा उर्फ भंवरलाल पुत्र नाथूराम अहिरवार उम्र 51 साल
 2. धन सिंह पुत्र तुलाराम अहिरवार उम्र 30 साल
 3. संजीव पुत्र तुलाराम अहिरवार उम्र 22 साल
 4. मल्ला उर्फ अनिल सिंह पुत्र तुलाराम अहिरवार उम्र 19 साल
- निवासीगण ग्राम कैथन जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 16.08.2017 को घोषित)

01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324 अथवा 324/34, 323 अथवा 323/34 चार शीर्ष, 506 भाग—दो के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.08.2015 को रात 08 बजे ग्राम कैथन में फरियादी लालाराम को लोक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसके व सुनने वालो को क्षोभ कर फरियादी लालाराम व आहत तिलक, झुण्डी बाई, राजकुमार व नाथूराम को उपहति करने का आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लालाराम को कुल्हाडी से जो की काटने का उपकरण है एवं तिलक, झुण्डी, राजकुमार व नाथूराम को लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उन्होंने दिनांक 31.08.2015 को समय 8 बजे फरियादी लालाराम के परिवार के खण्डर में एक लवारिस बछडा मर

गया था, तो पड़ोसी भंवरलाल अहिरवार लालाराम को बुरी बुरी गालियां देकर कह रहा था कि लालाराम के परिवार वालों ने बछड़ा मारा है, व हत्यारे हैं। लालाराम ने मना किया तो कि झूठा नाम मत लगायों, तो इसी बात पर भंवरलाल ने लालाराम के सिर में कुल्हाड़ी मारी दाईं तरफ लगी खून निकलने लगा मल्ला ने लठ लालाराम बाये कदा पर मारा धनसिंह ने लाठी मारी जो बाये कान के पास लगी, खून निकलने लगा एक लाठी बाये घुटने पर मारी, लालाराम की बुआ झुण्डी बाई बचाने आयी तो मल्ला ने लटठ उसे मारा जो बाये हाथ में लगा, लालाराम का लडका तिलकराज आया तो संजीव ने लटठ मारा उसे बाये हाथ में कोनी के पास लगा एक लटठ दाये कंधा के के उपर मारी मुदी चोट आई राजकुमार आया तो उसे संजीव और मल्ला ने लाठियों से मारा उसे दाहिने हाथ की कलाई बाये हाथ की गदेली में दाये पैर की पीडरी पर चोटे आयी। जब लालाराम रिपोर्ट करने जाने लगा तो भंवरलाल बोना मादरचोट रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी भंवरलाल द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक 172/15 अंतर्गत धारा— 324, 323, 294, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.08.2017 को फरियादी भंवरलाल आहत तिलकराज, झुण्डीबाई, राजकुमार व नाथू राम द्वारा अभियुक्तगण पर आरोपित धाराओं में शमन करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) दप्रस के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भादवि की धारा 294, 323 अथवा 323/34 चार शीर्ष, 506 भाग—दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324 अथवा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 31.08.2015 को रात 8 बजे ग्राम कैथन में फरियादी के खण्डर के पास अभियुक्तगण ने फरियादी लालाराम को उपहति कारित करने का सामान्य निर्मित किया था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त भवरलाल ने कुल्हाड़ी से जो कि काटने का उपकरण हैं, से फरियादी लालाराम को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06—प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से फरियादी लालाराम (अ0सा0—1) सहित घटना में आहत तिलकराज (अ0सा0—2), राजकुमार (अ0सा0—3), झुण्डी बाई (अ0सा0—4) व नाथूराम (अ0सा0—5) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी लालाराम (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि आरोपीगण से उसकी पूर्व की चुनावी रंजिश थी, दो साल पहले रात्रि 8—9 बजे उसके घर के पास खण्डर में एक बछड़ा मर गया था, जिसकी बदबू आ रही थीं। जिसको लेकर अभियुक्त भंवरलाल कह रहा था कि वो बछड़ा उसने मारा है। जब फरियादी ने भवरलाल से कहा कि बछड़ा उसने नहीं मारा हैं जो भंवरलाल नहीं माना और उसे मां बहन की गालिया देने लगा।

07— लालाराम (अ0सा0—1) का कहना है कि चिल्लाचोट सुनकर उसका लडका तिलकराज (अ0सा0—2) भी वहा आ गया था, जिसके बीच बचाव करने पर अभियुक्तगण ने उसे भी गंदी—गंदी गालिया दी थीं। फरियादी का अभियोजन घटना के विरुद्ध अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि घटना में केवल मुंहवाद हुआ था तथा मारपीट की कोई घटना नहीं हुयी और उसने इसी घटना की रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 पुलिस थाना पिपरई में लेख करायी थीं। फरियादी लालाराम (अ0सा0—1) अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं घटना में आहत है तथा इसी के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा उसके व तिलकराज (अ0सा0—2) राजकुमार (अ0सा0—3) झुण्डी बाई (अ0सा0—4) व नाथूराम (अ0सा0—5) के साथ मारपीट कर उन्हें चोटें कारित करने की रिपोर्ट लेखबद्ध

करायी गयी थी, परन्तु यही साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं व अन्य के साथ कोई मारपीट न किया जाना बताता हैं तथा घटना में केवल मुंहवाद होना बताता है।

- 08- फरियादी लालाराम (अ0सा0-1) के न्यायालय में इस संबंध में दिये गये कथन अखण्डित है कि खण्डर में मरे हुये बछड़े को लेकर अभियुक्त भंवरलाल ने उसके साथ विवाद किया था जिसके बाद अभियुक्तगण ने उसके साथ गाली गलौच भी की थीं। लालाराम (अ0सा0-1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट प्रदर्श-पी 1 से भी होती है तथा तिलकराज (अ0सा0-2) जिसकी उपस्थिति घटना स्थल पर स्वयं लालाराम (अ0सा0-1) अपने कथनों में स्वीकार करता है, ने भी लालाराम (अ0सा0-1) के इन कथनों की पुष्टि की है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण उसे गालिया दे रहे थे।
- 09- लालाराम (अ0सा0-1) व तिलकराज (अ0सा0-2) के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि फरियादी के घर के पास खण्डर में किसी मरे हुये बछड़े के पड़े होने पर आरोपीगण ने घटना स्थल पर फरियादी लालाराम (अ0सा0-1) के साथ विवाद किया था तथा उक्त विवाद में अभियुक्तगण ने लालाराम (अ0सा0-1) को मां बहन की गालिया भी दी थीं। अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को लालाराम (अ0सा0-1) सहित अन्य आहतगण के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की थीं, इस संबंध में स्वयं फरियादी लालाराम (अ0सा0-1) ने अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देते हुये घटना में अभियुक्तगण के द्वारा केवल मुंहवाद किया जाना बताया है, वहीं तिलकराज (अ0सा0-2) भी घटना में आहत होते हुये भी घटना में केवल मुंहवाद होने के संबंध में कथन देता है।
- 10- अभियोजन की ओर से घटना में अन्य आहत राजकुमार (अ0सा0-3) झुण्डी बाई (अ0सा0-4) व नाथूराम (अ0सा0-5) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, इन तीनों साक्षियों ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है तथा अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताया है जबकि अभियोजन के अनुसार यह तीनों ही साक्षी घटना में आहत हैं। लालाराम (अ0सा0-1) व तिलकराज (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में आहत राजकुमार (अ0सा0-3) झुण्डीबाई (अ0सा0-4) व नाथूराम (अ0सा0-5) की घटना स्थल पर उपस्थिति या अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ की गई मारपीट के संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं तथा इन साक्षियों के अनुसार राजकुमार (अ0सा0-3) झुण्डी बाई (अ0सा0-4) व नाथूराम (अ0सा0-5) मौके पर नहीं थे।

- 11— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से घटना स्थल पर आहतगण राजकुमार (अ0सा0-3) झुण्डी बाइ (अ0सा0-4) व नाथूराम (अ0सा0-5) की उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती हैं, जिससे अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने की घटना प्रमाणित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फरियादी लालाराम (अ0सा0-1) व तिलकराज (अ0सा0-2) दोनों ही घटना में केवल मुंहवाद होना बताते हैं तथा मारपीट की घटना से इन्कार करते हैं। फरियादी सहित अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये किसी भी साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी सहित सभी साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु उक्त परीक्षण से भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 12— लालाराम (अ0सा0-1) सहित अन्य साक्षियों के कथनों से जहां राज कुमार (अ0सा0-3) झुण्डी बाई (अ0सा0-4) व नाथूराम (अ0सा0-5) की घटना स्थल पर उपस्थिति ही प्रमाणित नहीं होती है वहीं स्वयं लालाराम (अ0सा0-1) जो कि घटना में स्वयं फरियादी हैं, इस बात पर अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं करता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी जिसके अभियुक्त भवरंलाल ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी से उसे सिर में उपहति कारित की थीं। तिलकराज (अ0सा0-2) भी अपने कथनों में इस बात का खण्डन करता है कि अभियुक्त भामा ने लालाराम के सिर पर कुल्हाड़ी मार कर उपहति कारित की थीं। तिलकराज (अ0सा0-2) सहित अन्य साक्षी राजकुमार (अ0सा0-3) झुण्डी बाई (अ0सा0-4) व नाथूराम (अ0सा0-5) इस संबंध में ऐसे कोई भी कथन पुलिस को न देना बताते हैं।
- 13— फरियादी लालाराम (अ0सा0-1) जहां मारपीट की घटना से इन्कार करता है वही इस साक्षी ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि भवरंलाल ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारी थी तथा अन्य अभियुक्तगण ने भी घटना में उसके साथ व अन्य आहतगण के साथ उपहति कारित की थीं, ऐसी कोई रिपोर्ट उसने पुलिस को लेख नहीं कराई और न ही उसने पुलिस को ऐसा कोई बयान दिया था। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत तिलकराज (अ0सा0-2) व लालाराम (अ0सा0-1) केवल मुंहवाद की घटना होना लेख कराते हैं, वहीं अन्य साक्षी अपने सामने अभियोजन घटना घटित होने से ही इन्कार करते हैं।

- 14— अतः फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन न देने से एवं केवल मुंहवाद की घटना होना बताने के कारण अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह साबित हो सके की भवरलाल ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लालाराम (अ0सा0-1) को घटना में कुल्हाड़ी से कोई स्वेच्छया उपहति कारित की थी।
- 15—फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक 31.08.2015 को रात 8 बजे ग्राम कैथन में फरियादी के खण्डर के पास अभियुक्तगण ने फरियादी लालाराम को उपहति कारित करने का सामान्य निर्मित किया था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त भवरलाल ने कुल्हाड़ी से जो कि काटने का उपकरण हैं, से फरियादी लालाराम को स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 16—फलतः अभियुक्त भामा उर्फ भवरलाल पुत्र नाथूराम अहिरवार, के विरुद्ध भादवि0 की धारा 324 एवं अभियुक्त धन सिंह पुत्र तुलाराम अहिरवार, संजीव पुत्र तुलाराम अहिरवार, मल्ला उर्फ अनिल सिंह पुत्र तुलाराम अहिरवार के विरुद्ध भादवि की धारा 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त भामा उर्फ भवरलाल को भा0द0वि0 की धारा 324 एवं अभियुक्त धन सिंह पुत्र तुलाराम अहिरवार, संजीव पुत्र तुलाराम अहिरवार, मल्ला उर्फ अनिल सिंह पुत्र तुलाराम अहिरवार को भादवि की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 17— अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

